"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी 2007—फाल्गुन 1, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

अधिसूचना

फा. क्रमांक 1639/डी-389/21-ब/छ. ग./07.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, सत्र खण्ड धमतरी के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 12281/डी-2539/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 09-10-06 के सरल क्रमांक 4 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीश को उसके कालम नं. (3) में इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :-

क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	सत्र न्यायाधीश, धमतरी	धमतरी

Raipur, the 15th February 2007

NOTIFICATION

F. No. 1639/D-389/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention and Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the High Court of Chhattisgarh and in supersession of Serial No. 4 of this department notification No. 12281/D-2539/XXI-B/C. G./06 dated 09-10-06 is related to session division Dhamtari, Specifying Court of Sessions under Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988, the State Government hereby appoints the session Judge specified in column No. (2) of the Schedule below to be the special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said act from issue in the date of notification :-

S. No.	Special Court	Local Area/Session Division
(1)	(2)	(3)
1.	Sessions Judge, Dhamtari	Dhamtari

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.